न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– मुमताज खां बनाम उम्मेद खां आदि

किस्म मुकदमा– आवेदन पत्र अ0 धारा 212 राज0का0अधि01955 मु.नं0– 46 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
05.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नही आने पर उनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर वकील प्रार्थी को सुना गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 775/650 रकबा 0.3400 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था। मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादी मुमताज खां ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया। जिसमें मुख्य रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुनोष चाहा गया हैं। मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि लेकर ही निर्णय किया जाना संभव होगा। इसलिए मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 775/650 रकबा 0.3400 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी मुमताज खां द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 स्वीकार किया जाता हैं तथा मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 775/860 रकबा 0.3400 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें। यह आदेश किसी प्रकार के रास्ते की भूमि पर एवं विघूत कनेक्शन के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	

Scanned with CamScanner